राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 1405/III/14 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एव अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20.5.14	यह निगरानी तहसीलदार सागर द्वारा प्रकरण कमांक 01 अ 12/13-14 में पारित आदेश दिनांक 5-12-13 के विरुद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।	
	2/ निगरानीकर्ता के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।	
	3/ निगरानीकर्ता के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एंव निगरानी मेमो के तथ्यों तथा तहसीलदार के आदेश दिनांक 17-10-13 एंव 5-12-13 के अवलोकन से प्रकरण में विचार योग्य बिन्दु यह है कि जिस भूमि का सीमांकन किया गया है, वह ग्राम अगावनी स्थित सर्वे कमांक 16 रकबा 3.24 हैक्टर है जो पटवारी हलका नंबर 46 के अंतर्गत है, जबकि भूलवश तहसीलदार के अंतरिम आदेश में हलका नंबर 42 लिखा हो गया है जिसका त्रुटि सुधार करना निगरानी में मुख्य मांग है।	
	4/ निगरानी मेमो एंव उसके साथ प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से तथा तहसीलदार के अंतरिम आदेश दिनांक 17-10-13 के अवलोकन से पटवारी हलका नंबर 46 के बजाय 42 लिखा जाना बताया गया है यदि इस प्रकार की लिपिकीय भूल स्पष्ट है, तब तहसीलदार संहिता की धारा 32 की शक्तियों का प्रयोग कर प्रत्यक्ष भू को दुरूस्त कर सकते हैं किन्तु आवेदक ने तहसीलदार के समक्ष तदाशय की कार्यवाही न	

करते हुये राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की है।

5/ **उक्त परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार सागर को निर्देश दिये** जाते हैं कि इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत होने पर न्यायालयीन प्रकरण कमांक 01 अ 12/13–14 का परीक्षण कर लें, यदि स्पष्टरूप से लिपिकीय त्रुटि अथवा आदेश में त्रुटि परिलक्षित है, तद्नुसार सुधार कार्यवाही हेतु पक्षकारों को श्रवण कर गुणदोष के आधार पर निर्णय लेवे ।

6/ निगरानी में अन्य किसी प्रकार का अनुतोष दिया जाना अथवा मॉग का निराकरण शेष न रहने से निरस्त की जाती है। पक्षकार नोट करें। प्रकरण अंक से कम किया जाकर रिकार्ड रूम में जमा किया जावे।

सदस्य